राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नेमीचन्द बनाम बनवारी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/05/2026 को पेश हो |	
15/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 06 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी का पेश कर वादी का वाद ख़ारिज किये जाने का निवेदन किया, जिस पर अप्रार्थी/वादीगण के अधिवक्ता ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी पर समायत कर निर्णय दिनांक 30/05/2025 पारित करते हुये प्रार्थी/प्रतिवादी सख्या 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता रेस्पो. के अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि मूल वाद विभाजन का है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद के नोट प्रेस में ख़ारिज हो जाने के तथ्य के आधार पर बार्ड बाई लॉ धारित कर प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार करते हुये प्रारम्भिक स्तर पर ही ख़ारिज कर दिया गया, जबकी सहखातेदारान के मध्य विभाजन हेतु वाद कभी भी कोई भी सहखातेदार प्रस्तुत कर सकता है एवं विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां होने से उसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर लम्बित नही रखा जा सकता एवं विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद को तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर कानूनन ख़ारिज नही किया जा सकता किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वाद को ख़ारिज करने में विधिक त्रुटी कारित किया	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नेमीचन्द बनाम बनवारी

तारीख हुक्म	821/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30/05/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण कर गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	